छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | द्वितीय सत्र | अंक-06

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024</u>

(माघ 23, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न क्रमांक- 03 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री उमेश पटेल एवं तारांकित प्रश्न क्रमांक-05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री इंद्र साव अनुपस्थित रहे ।

तारांकित प्रश्न क्रमांक 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य डॉ. चरणदास महंत के स्थान पर श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य एवं तारांकित प्रश्न क्रमांक 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री धरमलाल कौशिक के स्थान पर श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 28 तारांकित एवं 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट,

(2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(3) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री ने (तकनीकी शिक्षा), छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22,

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23,

(5) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, मंत्री ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2020-21,

(6) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

(7) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022), तथा

(8) श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (क्रमांक 41 सन् 2021) की धारा 45 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

पटल पर रखे।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री राजेश मूणत, सदस्य ने नवा रायपुर स्मार्ट सिटी तथा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अपात्र कंपनियों को कार्य आवंटित किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य ने नारायणपुर जिले में एक आदिवासी किसान द्वारा बैंक से लिये गये कर्ज को अदा नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. बहिर्गमन

श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्री बघेल लखेश्वर
(3) श्रीमती रायमुनी भगत
(4) श्रीमती गोमती साय
(5) श्री ललित चन्द्राकर

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती अनिला भेंडिया
(2) श्री दलेश्वर साहू
(3) श्रीमती रायमुनी भगत
(4) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

7. वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री कवासी लखमा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्निखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर (जारी....)

(1.25 बजे से 3.00 बजे तक भोजनावकाश हेतु अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

8. वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, दलेश्वर साहू, अनुज शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

श्री द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री रोहित साहू

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

सायं 5.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 (माघ-24, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा